2026:RJ-JP:17263

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1789/2026

Vijay Kumar Meena S/o Sh. Kailash Chand Meena, R/o Khara Kuaa, Chudi Market, Malakheda District Alwar. Authorized Signatory Brithari Saree Centre, Malakheda, Alwar (Raj).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. Samridhi Credit Corporative Society Ltd., A-1, Anand Vihar,in-Front Of City Hospital, Alwar (Raj). Through Authorized Signatory, Crm Lokesh Kumar Yadav.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Rohit Kumar Gupta, Adv. Mr. Vijay Kumar Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shakhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/04/2026

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त का निवेदन है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से आवेदन अंतर्गत धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथ्यों व विधिक प्रावधानां के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, लेकिन वे इस आदेश को अब चुनौती नहीं देते हैं। उनका सीमित निवेदन है कि पासबुक की फोटो प्रति को द्वितीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने हेतु विचारण न्यायालय में मौखिक या लिखित निवेदन किया जाता है तो उस पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जावे।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त पक्ष की ओर से दस्तावेज के द्वितीय साक्ष्य के लिए कोई मौखिक या लिखित निवेदन किया जाता है तो विचारण न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनकर विधिक प्रावधानों के अनुसार ऐसे निवेदन/आवेदन पर विचार किया जावे। यह याचिका इसी अनुसार निस्तारित की जाती है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /43